आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–उत्पाद अधिहरण वाद सं0–41/2017–18

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
04.07.2017	***आदेश*** पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1951/सी0आर0, दिनांक 26.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत अलौली थाना कांड संख्या 229/2016 दिनांक 14.09.08.2016 वादी श्री गजेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष अलौली थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सतीश सिंह, पे0–स्व0 जयनाथ प्रसाद सिंह, साकिन–दलान हरिपुर, थाना–अलौली, जिला खगड़िया के आवासीय परिसर में ही Royal Stage कम्पनी का 375 एम0एल0 का 18 (अठारह) बोतल एवं इम्पेरियम ब्लू कम्पनी का 375 एम0एल0 का 122 (एक सौ बाईस बोतल) कुल 52.500 लीटर शराब बरामद हुआ। उनके आवासीय परिसर की चौहद्दी निम्न प्रकार है:– उत्तर–अरूण सिंह, पे0 जयनाथ सिंह, दक्षिण–पक्की सड़क, पूरब– पक्की सड़क एवं पश्चिम अशोक सिंह पे0 भागवत सिंह का मकान आवासीय परिसर को सील करने का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है। अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ तलासी सह जप्ती सूची, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन 2 , 3 एवं 4 संलग्न है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत जप्ती या तलासी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत है :– जप्ती सूची के अनुसार आवासीय परिसर में अवैध रूप से Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 18 बोतल तथा इम्पेरियम ब्लू कम्पनी का 375 एम0एल0 का 122 बोतल कुल 52.500 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। साथ ही दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 10.06.2017 एवं प्रभात खबर दिनांक 11.06.2017 के संस्करण में प्रकाशित सूचना के द्वारा मकान के स्वामी सतीश सिंह, पे0 स्व0 जयनाथ प्रसाद सिंह को निर्धारित तिथि दिनांक 13.06.2017 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु संसूचित किया गया। प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि प्रतिवादी के मकान से एक भी बोतल शराब बरामद नहीं हुआ है। बल्कि उनके बगल से कुछ शराब बरामद हुआ है। लेकिन पुलिस द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी के मकान से बरामद होने का आरोप लगाया गया है। इसलिए	

प्रतिवादी के मकान का अधिहरण न्याय संगत नहीं है।

जप्ती के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मकान/भूखण्ड का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त मकान अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद अधिनियम द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत मकान से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत मकान को अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में शराब पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण शराब का कारोबार करना बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है।

बहस तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रश्नगत मकान का उपयोग शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। प्रतिवादी द्वारा या उनके अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका कि उनके घर से शराब बरामद नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत मकान बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में उपयोग में लाये गये मकान जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :–
   उत्तर–अरूण सिंह, पे0 जयनाथ सिंह, दक्षिण–पक्की सड़क, पूरब पक्की सड़क एवं पश्चिम अशोक सिंह पे0 भगवत सिंह का मकान को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला घर किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में निदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58 (5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय।
2. कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे मकान को उचित मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता,
खगड़िया 10/1/17

समाहर्ता,
खगड़िया 10/1/17